न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार , आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 138/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 91/2025, आरक्षी केन्द्र जसोल
CNR : RJBA010005562026

01. रावतसिंह पुत्र किशनसिंह, उम्र 33 वर्ष,
02. महेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह, उम्र 31 वर्ष,
03. पृथ्वीसिंह पुत्र किशनसिंह, उम्र 27 वर्ष,
निवासियान गांधीपुरा, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा ।

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2025, पुलिस थाना जसोल, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 337 भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. दिव्या व श्री प्रदीपसिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।
3. श्री उम्मेदसिंह चंपावत, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।

–– <u>आदेश</u> ––

दिनांक : 08.04.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. परिवादी राणा उर्फ राणसिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्यानुसार, उसको वर्ष 1994 में खेत खसरा नंबर 398/94 रकबा 50 बीघा भूमि ग्राम

तिंलवाड़ा हाल नया राजस्व गा व बामसीन में एलोट हुई थी । उक्त भूमि के खातेदारी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसके पिता बींजा उर्फ बींजराजसिंह की जगह उसके बड़े पिता छोगा का नाम उसके पिता की जगह लिखकर खातेदारी में गलत प्रविष्टी की गई । उसका उक्त खेत हड़पने के उद्देश्य से उसके चाचा छोगा के पुत्र धन्ना की बेवा नेनु कंवर द्वारा उसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज करवाया । छोगा के पुत्र किशनसिंह का देहांत दिनांक 22.11.2014 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसके पुत्र पृथ्वीसिंह द्वारा नगर परिषद बालोतरा से प्राप्त किया गया । किशनसिंह पुत्र छोगसिंह ही अभियुक्तगण संख्या 01 से 05 के पिता का नाम था व स्व. छोगा को ग्राम तेमावास में ही परिवादी के साथ भूमि एलोट हुई थी, उक्त भूमि का बेचान भी किशनसिंह स्वयं के द्वारा किशनसिंह पुत्र छोगसिंह के नाम से ही किया गया था । किशनसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर परिषद बालोतरा से हासिल कर उसमें छल, कपटपूर्ण प्रयोजन से कूटक्रम कर किशनसिंह शब्द के आगे उर्फ राणसिंह शब्द लिख दिया गया, कारण कि खेत खसरा नंबर 898/94 में खातेदारी राणसिंह के नाम अंकित की हुई है, इस कारण परिवादी को किशनसिंह उर्फ राणसिंह लिखकर किशनसिंह की मृत्यु ही उसकी खातेदार की मृत्यु बता दी गई और हल्का पटवारी अभियुक्त खेराजराम व सरपंच कमलादवी ने बिना ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लिए उसके नाम की खातेदारी भूमि किशनसिंह उर्फ राणसिंह की मृत्यु बताकर व किशनसिंह उर्फ राणसिंह को फौत होने बाबत शपथ पत्र इत्यादि भी अभियुक्तगण द्वारा रचगढ़ कर हल्का पटवारी द्वारा उसका फौतगी नामान्तरकरण खोलकर अभियुक्त संख्या 01 से 05 को उसके उत्तराधिकारी बताकर स्वीकृत कर उसके जीते जी उसकी खातेदारी भी बदल दी गई । उक्त भूमि में किशना की मृत्यु पर किशना उर्फ राणसिंह के काल्पनिक उत्तराधिकारी बनकर हल्का पटवारी व सरपंच को भारी रिश्वत देकर सभी ने एक राय होकर फर्जी, जाली एवं काल्पनिक नामान्तरकरण संख्या 2232 दिनांक 05.09.2024 हल्का पटवारी अभियुक्त खेराजराम द्वारा खोला गया व सरपंच कमला द्वारा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अभाव में ही स्वीकार कर अभियुक्तगण संख्या 01 से 05 को खातेदार बना दिए गए व उक्त अभियुक्तगण संख्या 01 से 05 ने उक्त भूमि को आगे अभियुक्त संख्या 06 को बेचान कर दी व अभियुक्तगण ने उक्त भूमि उसकी होना व उसके जीवित होते हुए भी फर्जी, कूटरचित एवं कपटपूर्ण दस्तावेज रजिस्ट्री दिनांक 19.12.2024 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 8 में पृष्ठ संख्या 69 क्रम संख्या 202403555100681 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 30 के पृष्ठ संख्या 106 पर चस्पा किया गया और उसकी खातेदारी बदल दी व

उर्फ राणा लिखकर उसका कागजों में देहांत कर दिया गया..... इत्यादि । उक्त परिवाद पर पुलिस थाना जसोल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/2025 दर्ज की जाकर प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है । दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिसका जमानत आवेदन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने पर यह जमानत आवेदन पेश किया गया है । घटना की तिथि एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तिथि निम्नानुसार हैः–

घटना की तिथि	गिरफ्तारी तिथि
इस्तगासा दिनांक 15.05.2025 से पूर्व भिन्न–भिन्न कालक्रम की घटना है	23.01.2026

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम तिलवाड़ा हाल नया राजस्व गांव बामसीन में किशनसिंह पुत्र छोगा को खसरा संख्या 398/94 रकबा 50 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । किशनसिंह की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि प्रार्थीगण व अन्य जो कि स्वर्गीय किशनसिंह के वारिशान थे के नाम से जरिये फौतगी म्युटेशन दर्ज हुई । प्रार्थीगण एवं अन्य के नाम से भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ । प्रार्थीगण एवं अन्य के नाम से भूमि का नामान्तरकरण दर्ज होने पर उनके द्वारा नियमानुसार 4.04685 हैक्टेयर भूमि का बेचान मुश्ताक अली को किया है । परिवादी ने वादग्रस्त भूमि उसके पिता को आवंटित होना गलत बताते हुए प्रकरण दर्ज करवाया है । भूमि का आवंटन किशनसिंह के नाम से हुआ था एवं किशनसिंह की मृत्यु के पश्चात् विधि अनुसार प्रार्थीगण ने अन्य खातेदारों के साथ भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करवाया है ।

4. यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1828/2026 के द्वारा सहअभियुक्तगण शोभादेवी व शांतिदेवी की जमानत स्वीकार की जा चुकी है । प्रार्थीगण का मामला उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है । प्रार्थीगण दिनांक 23.01.2026 से अभिरक्षा में हैं । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जिस भूमि का विक्रय विलेख प्रार्थीगण व अन्य ने मुश्ताक अली के पक्ष में निष्पादित करवाया है, वह भूमि खसरा संख्या 398/94 रकबा 50 बीघा परिवादी को आवंटित हुई थी परन्तु आवंटन के समय परिवादी के पिता का नाम त्रुटिवश

छोगा लिख दिया गया था । प्रार्थीगण एवं अन्य ने षडयंत्र रचकर मृतक किशनसिंह को उर्फ राणा बताकर उक्त भूमि का गलत तरीके से राजस्व अधिकारियों व सरपंच से मेल मिलाप कर नामान्तरकरण दर्ज करवाया तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रार्थीगण एवं अन्य ने 50 बीघा भूमि में से 4.04685 हैक्टेयर भूमि का बेचान मुश्ताक अली को कर दिया जबकि प्रार्थीगण एवं अन्य विक्रेता को यह भलिभांति ज्ञान है कि राणा उर्फ राणसिंह जीवित है तथा राणा व किशनसिंह एक व्यक्ति न होकर भिन्न–भिन्न व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण ने किशनसिंह उर्फ राणा पिता का नाम छोगसिंह उर्फ छोगा के नाम से कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया एवं उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाकर बेशकीमती भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कर परिवादी के साथ छल व नुकसान कारित किया है ।

6. यह भी तर्क दिया कि सहअभियुक्तगण शोभादेवी व शांतिदेवी महिला होने एवं महिलाओं की जमानत के संबंध में विशेष प्रावधान होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था । सहअभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरुद्ध पूर्व में 03 अन्य प्रकरण दर्ज हो रखे हैं । प्रार्थीगण के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

<u>प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रावतसिंह व पृथ्वीसिंहः–</u>

Sr. No.	FIR No. & P.S.	Case No.	Section	Date	Status	Date of Arrest	Release on any previous occasion (If any)
–	NIL	–	-	-	–	–	–

<u>प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्रसिंहः–</u>

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	चालान नंबर	धारा	स्थिति
01.	455/2018	बालोतरा	256/30.12.2028	341, 384, 354 भादस व 7/8 POCSO Act	दोषमुक्त
02.	119/2025	बालोतरा	119/01.03.2025	279, 337 भादस	पेंडिंग कोर्ट
03.	149/2025	बालोतरा	149/13.06.2025	119(2), 115(2) BNS	पेंडिंग कोर्ट

8. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि ग्राम तिलवाड़ा की कृषि भूमि खसरा संख्या 398/94 रकबा 50 बीघा परिवादी के

नाम से आवंटित हुई थी । अनुसंधान पत्रावली पर संकलित साक्ष्य से यह भी जाहिर होता है कि परिवादी के पिता का नाम भूमि आवंटन के समय छोगा लिख दिया गया था जबकि उसके पिता का नाम बींजा था । परिवादी द्वारा उसके पिता का नाम संधोशन किए जाने हेतु सहायक कलेक्टर न्यायालय बाड़मेर में कार्यवाही भी किया जाना अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रकट होता है । अनुसंधान पत्रावली पर संकलित साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि किशनसिंह की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु उसके पुत्र द्वारा नगर परिषद बालोतरा में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख है कि उसके पिता किशनसिंह पुत्र छोगसिंह गांधीपुरा की मृत्यु 22 नवंबर, 2014 को हो गई है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाने का कष्ट करावें । उक्त प्रार्थना पत्र में किशनसिह का उर्फ नाम राणा उर्फ राणसिंह हो यह तथ्य उल्लेखित नहीं है । अनुसंधान पत्रावली पर नगर परिषद बालोतरा द्वारा जारी किशनसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका नाम किशनसिंह व पिता का नाम छोगसिंह लिखा हुआ है । अनुसंधान पत्रावली पर एक अन्य मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है जिसका कूटरचित होना बताया है जिसमें मृतक का नाम किशनसिंह उर्फ राणा व पिता के नाम में छोगसिंह उर्फ छोगा होना अंकित है । उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र नगर परिषद बालोतरा द्वारा जारी नहीं किया गया था इस आशय की साक्ष्य भी अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है । सहअभियुक्तगण शोभादेवी व शांतिदेवी का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1828/2026 के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है । प्रार्थीगण का मामला उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति का होना नहीं पाया जाता है ।

9. माननीय उच्च न्यायालय ने खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य एस बी क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 861/2021 आदेश दिनांक 25/01/2021 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया हो और अन्य सहअभियुक्त का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, वहां जमानत आवेदन का निस्तारण करने के समय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को संदर्भित कर अनुसरण किया जाएगा जब तक कि अपवादात्मक/विशिष्ठ भिन्न तथ्य अस्तित्व में न हो ।

10. प्रार्थीगण का मामला सहअभियुक्तगण शोभादेवी व शांतिदेवी से भिन्नता नहीं रखता है । प्रार्थीगण रावताराम व पृथ्वीसिंह के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित होना नहीं बताया है तथा प्रार्थी महेन्द्रसिंह के विरुद्ध पूर्व में 03 अन्य प्रकरण दर्ज होना बताया है जिसमें से एक प्रकरण में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है एवं उसके विरुद्ध पूर्व

की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रार्थीगण दिनांक 23.01.2026 से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सहअभियुक्तगण शोभादेवी व शांतिदेवी का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है एवं प्रार्थीगण का मामला उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति का नहीं है प्रार्थीगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

11. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसकी उपस्थिति बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ मोतबिर जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाएं तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

12. आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.04.24 11:09:09 +0530